न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी
आई०ए०एस०

(1) निगरानी सं0 12/2020 (ग्रा.पं.)

1 डालूराम पुत्र घासीलाल
2 जगदीश पुत्र डालूराम
3 गंगाधर पुत्र डालूराम
4 विनोद पुत्र डालूराम
समस्त जाति माली (सैनी) निवासी ग्राम जैलमपुरा तहसील लवाण जिला दौसा

.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. रामधन पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी ग्राम जैलमपुरा तहसील लवाण जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत खानवास, पंचायत समिति दौसा जिला दौसा

.....गैर निगरानीकर्तागण

(2) निगरानी सं0 13/2020 (ग्रा.पं.)

1 डालूराम पुत्र घासीलाल
2 जगदीश पुत्र डालूराम
3 गंगाधर पुत्र डालूराम
4 विनोद पुत्र डालूराम
समस्त जाति माली (सैनी) निवासी ग्राम जैलमपुरा तहसील लवाण जिला दौसा

.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. घासीलाल पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी ग्राम जैलमपुरा तहसील लवाण जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत खानवास, पंचायत समिति दौसा जिला दौसा

.....गैर निगरानीकर्तागण

(3) निगरानी सं0 14/2020 (ग्रा.पं.)

1 डालूराम पुत्र घासीलाल
2 जगदीश पुत्र डालूराम
3 गंगाधर पुत्र डालूराम
4 विनोद पुत्र डालूराम
समस्त जाति माली (सैनी) निवासी ग्राम जैलमपुरा तहसील लवाण जिला दौसा

.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र बद्रीलाल जाति माली निवासी ग्राम जैलमपुरा तहसील लवाण जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत खानवास, पंचायत समिति दौसा जिला दौसा

.....गैर निगरानीकर्तागण

निरन्तर.....2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:21:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

(4) निगरानी सं0 15/2020 (ग्रा.पं.)

1 डालूराम पुत्र घासीलाल
2 जगदीश पुत्र डालूराम
3 गंगाधर पुत्र डालूराम
4 विनोद पुत्र डालूराम

समस्त जाति माली (सैनी) निवासी ग्राम जैलमपुरा तहसील लवाण जिला दौसा

.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र बद्री जाति माली निवासी ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर
2. ग्राम पंचायत खानवास, पंचायत समिति दौसा जिला दौसा

.....गैर निगरानीकर्तागण

(5) निगरानी सं0 16/2020 (ग्रा.पं.)

1 डालूराम पुत्र घासीलाल
2 जगदीश पुत्र डालूराम
3 गंगाधर पुत्र डालूराम
4 विनोद पुत्र डालूराम

समस्त जाति माली (सैनी) निवासी ग्राम जैलमपुरा तहसील लवाण जिला दौसा

.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. घनश्याम पुत्र देवीलाल जाति माली निवासी ग्राम तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर
2. ग्राम पंचायत खानवास, पंचायत समिति दौसा जिला दौसा

.....गैर निगरानीकर्तागण

(6) निगरानी सं0 17/2020 (ग्रा.पं.)

1 डालूराम पुत्र घासीलाल
2 जगदीश पुत्र डालूराम
3 गंगाधर पुत्र डालूराम
4 विनोद पुत्र डालूराम

समस्त जाति माली (सैनी) निवासी ग्राम जैलमपुरा तहसील लवाण जिला दौसा

.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. कमलेश पुत्र लालूराम
2 दीपक पुत्र लालूराम
3 कालू पुत्र लालूराम

समस्त जाति माली निवासी ग्राम जैलमपुरा तह0 लवाण जिला दौसा

4 ग्राम पंचायत खानवास, पंचायत समिति दौसा जिला दौसा जरिये सरपंच

.....गैर निगरानीकर्तागण

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:21:19 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर.....3 पर

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(7) निगरानी सं0 18/2020 (ग्रा.पं.)
1 डालूराम पुत्र घासीलाल
2 जगदीश पुत्र डालूराम
3 गंगाधर पुत्र डालूराम
4 विनोद पुत्र डालूराम
समस्त जाति माली (सैनी) निवासी ग्राम जैलमपुरा तहसील लवाण जिला दौसा
.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. कमलेश पुत्र लालूराम जाति माली निवासी ग्राम जैलमपुरा तह0 लवाण जिला दौसा
2 ग्राम पंचायत खानवास, पंचायत समिति दौसा जिला दौसा द्वारा सरपंच
....गैर निगरानीकर्तागण

(8) निगरानी सं0 19/2020 (ग्रा.पं.)
1 डालूराम पुत्र घासीलाल
2 जगदीश पुत्र डालूराम
3 गंगाधर पुत्र डालूराम
4 विनोद पुत्र डालूराम
समस्त जाति माली (सैनी) निवासी ग्राम जैलमपुरा तहसील लवाण जिला दौसा
.... निगरानीकर्तागण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. संतोष पुत्र शिवसहाय
2. विकास पुत्र शिवसहाय
3. मंगली बेवा शिवसहाय
समस्त जाति माली निवासी ग्राम जैलमपुरा तह0 लवाण जिला दौसा
4 ग्राम पंचायत खानवास, पंचायत समिति दौसा जिला दौसा द्वारा सरपंच
....गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी याचिका विरुद्ध आदेश पट्टा देहानी दिनांक 31-1-2004 अधिनस्थ ग्राम पंचायत खानवास पंचायत समिति दौसा अन्तर्गत धारा 97 राज, पंचायत अधिनियम

उपस्थितः 1. श्री. उमेश गौड, अधिवक्ता निगरानीकारान
2. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, गैर निगरानीकारान की ओर से
3. ग्राम पंचायत की ओर से अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 25.1.2023

उक्त सभी निगरानियों के तथ्य लगभग एक [illegible]। अतः इन सभी निगरानियों का निस्तारण एकल निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

उक्त सभी निगरानियों में अप्रार्थी [illegible] ग्राम पंचायत खानवास पंचायत समिति दौसा को पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:21:19 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर.....4 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

उक्त सभी निगरानियों में निगरानीकारान के द्वारा ग्राम पंचायत, खानवास पंचायत समिति दौसा द्वारा गैर निगरानीकारान के नाम दिनांक 31.1.2004 को जारी पटटो को निरस्त करने हेतु यह निगरानियां प्रस्तुत की गई है।

ग्राम पंचायत खानवास से जारी प्टटों का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता निगरानीकर्तागण व गैर निगरानीकर्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकारान ने निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगरानीकर्तागण ग्राम जैलमपुरा के निवासी बी.पी.एल. (चयनित क्रमांक 1998) परिवार के सदस्य काश्त व्यवसायी व्यक्ति है। सन 1981 में हुई अतिवृष्टि व बाढ के बाद निगरानीकर्तागण आवासहीन हो गये। ग्राम जैलमपुरा की आबादी में निगरानीकर्तागण के लिए आवासीय भूमि उपलब्ध नही थी। ग्राम पंचायत खानवास द्वारा दिनांक 28–12–2001 को आराजी खसरा नम्बर 362 रकबा 78 ऐयर गै०मु०चरागाह में से 25 ऐयर भू–भाग जिस पर निगरानीकर्तागण के रिहायशी मकानात पशु बाडे आदि निर्माण सन 1981 से विधमान थे, को आबादी भूमि में सम्परिवर्तन करने के लिए सहायक कलेक्टर दौसा को निवेदन किया। ग्राम पंचायत ने दिनांक 5–12–01 को एतदर्थ संकल्प पंचायत बैठक मे पारित किया गया था। ग्राम पंचायत ने निगरानीकर्तागण के आधिपत्य की भूमि का नजरी नक्शा भी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया है। सहायक कलेक्टर द्वारा उक्त पत्रादि अपनी सिफारिश के साथ जिला कलेक्टर दौसा को प्रेषित किये। जिला कलेक्टर महोदय ने पटवारी हल्का से प्रतिवेदन चाहा। तहसीलदार दौसा (तत्कालीन) ने पटवारी हल्का से खसरा नंबर 362 में निगरानीकर्तागण के आधिपत्य की भूमि का नक्शा ट्रेस में स्थान चिन्हित कर जिला कलेक्टर महोदय को अपने प्रतिवेदन के साथ दिनांक 4–8–2003 को भिजवाया। जिला कलैक्टर महोदय दौसा द्वारा तहसील दौसा व नायब तहसीलदार लवाण के प्रतिवेदन ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर विचार कर दिनांक 29–10–2003 को आदेश क्रमांकः आर. ए/12. 2003 संख्या 6879 द्वारा ग्राम जैलमपुरा के साथ अन्य ग्रामो में भी आबादी विस्तार हेतु भूमियॉ सेट अपार्ट कर संबंधित ग्राम पंचायतों को आदेश की प्रतियां भिजवाई। ग्राम जेलमपुरा में सैट अपार्ट भूमि मय नक्शा ट्रेस तरमीम के आधार पर तहसीलदार के आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में तरमीम की गई। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पारित सैट अपार्ट आदेश में क्रम संख्या 1 लगा0 7 निर्देश व शर्ते अंकित की गई, जिनकी पालना कर ग्राम पंचायत को बी.पी.एल. चयनित कमजोर वर्ग के आवासहीन व्यक्तियो को पट्टे प्रचलित किये जाने थे। ग्राम पंचायत खानवास ने श्रीमान जिला कलेक्टर के निर्देशो की पालना नहीं कर खसरा नम्बर 362 में से सम्परिवर्तन भूमि खसरा नम्बर 362/1 रकबा 25 ऐयर पर नक्शा तैयार कर 14 पट्टे 30 इंटू 45 फीट माप के दिनांक 31–1–04 को प्रचलित किये गये उनमें से आठ पटटे गैर निगरानीकारान के नाम प्रचलित किये जो आवंटन नियमों एवं जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशो के विरूद्व प्रचलित किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकारान के नाम प्रचलित पट्टों से निगरानीकर्ता व्यथित पक्षकारगण द्वारा यह निगरानी याचिकाएं न्यायालय मान्य में प्रस्तुत [illegible] रही है। सरपंच ग्राम पंचायत जैलमपुरा द्वारा विपक्षीगणों के पक्ष में [illegible] दिनांक 31–1–04 विधि प्रक्रिया, नियम तथ्य, न्याय के सामान्य [illegible] कलेक्टर महोदय के निर्देशो के विपरीत प्रचलित फरमाये जाने के कारण [illegible] है। सरपंच ग्राम पंचायत खानवास द्वारा सम्परिवर्तित आबादी भूमि के पट्टे विपक्षीगणों के पक्ष में प्रचलित करने से पूर्व राजस्थान

निरन्तर.....5 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:21:19 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

पंचायत अधिनियम द्वारा भूमि विक्रय हेतु बनाये हुए नियमों की पालना नही की। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1993 के अन्तर्गत बने हुए नियम की पालना किये बिना प्रचलित प्रश्नगत पट्टा आदेश अवैध एवं अनियमित होने के कारण निरस्तनीय है। सरपंच ग्राम पंचायत ने विपक्षीगण को प्रश्नगत पट्टे प्रचलित करने के लिए ग्राम पंचायत की बैठक में कोई प्रस्ताव पारित नही किया। श्रीमान जिला कलेक्टर दौसा द्वारा सैट अपार्ट आदेश दिनांक 29.10.2003 में वर्णित निर्देश क्रमांक 2 लगा० 5 की पालना किये बिना प्रचलित प्रश्नगत पट्टे निरस्तनीय है। निगरानीकर्तागण सम्परिवर्तित भूमि पर विगत करीब 40 वर्षो से निरन्तर निर्बाध शान्तिपूर्वक काबिज होकर निवास कर रहे है अपनी मवेशियो के लिए बाडे बना रखे है, सपरिवार निवास करते है। ग्राम पंचायत ने निगरानीकर्तागण के आधिपत्य की भूमि को ही सम्परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया था। ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 5—12—2001 के साथ निगरानीकर्तागण के आधिपत्य की भूमि जिसकी चार भूखण्ड का नजरी नक्शा भी बनाया था। तद्नुसार निगरानीकर्तागण काबिज चले आ रहे है। निगरानीकर्तागण के आधिपत्य में आज दिन तक विपक्षीगण द्वारा कभी कोई हस्तक्षेप नही किया। ग्राम पंचायत ने दिनांक 31—1—2004 को निगरानीकर्तागण के आधिपत्य की भूमि के पट्टे विपक्षीगणों के पक्ष में निगरानीकर्तागण को बेदखल किये बिना प्रचलित कर विधिक त्रुटी कारित की है। अतः प्रश्नगत पट्टे देहानी आदेश खण्डनीय है। विपक्षीगण बी.पी.एल. योजना में चयनित परिवार के सदस्य नही थे। विपक्षीगण आवासहीन भी नही थे । ग्राम जैलमपुरा की मुख्य आबादी भूमि पर विपक्षीगणों का पुख्ता मकान विधमान था अतः विपक्षीगणों के पक्ष में सम्परिवर्तित भूमि का किया गया आवंटन एवं पट्टा देहानी कार्यवाही अनियमित है। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विपक्षीगण ने बाद आवंटन भूखण्डों पर कोई निर्माण या कब्जा वादग्रस्त भूखण्डों पर विगत 17 वर्षो से नही किया और न कर सकते थे। क्योकि प्रश्नगत पट्टों की भूमि निगरानीकर्तागण के आधिपत्य में विगत चालीस वर्षो से चली आ रही है। अतः प्रश्नगत पट्टा देहानी आदेश जो मात्र कागजो में ही है, निरस्तनीय है। विपक्षीगण के पक्ष में प्रचलित पट्टा दिनांक 31—1—04 निम्नांकित आधारोवश भी निरस्तनीय है:—

क—जिला कलेक्टर महोदय के सैट अपार्ट आदेश दिनांक 29—10—2003 में अंकित निर्देश संख्या 2 व 3 की पालना किये बिना विपक्षीगणों के नाम पट्टा प्रचलित किया गया। तहसीलदार व ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार निगरानीकर्तागण का कब्जा होना सिद्ध होते हुए भी निगरानीकर्तागण के बजाय विपक्षीगणों को यह प्रचलित किया गया। निगरानीकर्तागण से अधिक भूमि का नजराना लेकर पट्टा दिया जाना चाहिए था ।

ख – निगरानीकर्तागण द्वारा अधिक भूमि का नजराना भी नही दिये जाने की दशा में भूमि को निलाम किया जाना चाहिए था। निर्देश क्रम संख्या 4 की पालना नही की गई।

ग—विपक्षीगण न तो आवासहीन थे और न बीपीएल में चयनित परिवार के थे अतः पट्टा प्राप्त करने हेतु अधिकृत नही थे। निर्देश संख्या 5 की पालना नही की गई ।

घ—विपक्षीगण अब निगरानीकर्तागण को बलपूर्वक बेदखल करना चाहते है। आज दिन विपक्षीगण का कब्जा विवादित भूखण्डों पर नही है।

ड.—पट्टा सरपंच ग्राम पंचायत ने बिना प्रस्ताव पारित किये बिना कार्यवाही जारी किया है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधिनस्थ सरपंच ग्राम पंचायत खानवास द्वारा विपक्षीगणों के नाम प्रचलित पट्टे दिनांक 31—1—04 निरस्त फरमाया जावें ।

निरन्तर.....6 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:21:19 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Non Official

जिला कलेक्टर, दौसा

अधिवक्ता गैर निगरानीकारान की बहस में दलील है कि ग्राम पंचायत खानवास के अनुरोध, तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा की सिफारिश एवं अभिशंषा के आधार पर श्रीमान जिला कलक्टर दौसा ने आदेश दिनांक 29.10.2003 के आधार पर ग्राम जेलमपुरा तत्समय तहसील दौसा स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 362 में से 0.25है. भूमि चरागाह से खारिज कर आबादी हेतु सैट अपार्ट की गई थी। आबादी में सैट अपार्ट उक्त भूमि का नया खसरा नंबर 362/1 बना है। भूमि आबादी में सैट अपार्ट होने के बाद भूमि पर पट्टे जारी करने हेतु ग्राम पंचायत खानवास द्वारा एक्शन प्लान बनाया गया जिसमें कुल 14 परिवारों को 150 वर्गगज प्रति परिवार के हिसाब से पटटे दिये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त एक्शन प्लान के मुताबिक प्लाट नंबर 1 से 6 तक निगरानीकारान के एवं भूखंड सं0 7 से 14 तक गैर निगरानीकारान के नाम अंकित है। ग्राम पंचायत द्वारा आबादी सैट अपार्ट हेतु भूमि की मांग किये जाने से पूर्व ही उक्त भूमि पर निगरानीकारान व गैर निगरानीकारान प्रश्नगत भूमि में प्रत्येक के हिस्से के 150 वर्गगज भूमि पर काबिज थे। गैर निगरानीकारान द्वारा दिनांक 31.1.2004 को ग्राम पंचायत खानवास में आबादी भूमि में से प्रत्येक के द्वारा 150 वर्गगज का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया। सचिव, ग्राम पंचायत खानवास की रिपोर्ट होकर पट्टा शुल्क मांग पत्र अप्रार्थीगण के नाम जारी किये गये। दिनांक 30.1.2004 को अप्रार्थीगण द्वारा पटटा जारी कराने हेतु देय राशि जमा कराई गई है। गैर निगरानीकारान जो कि 1 से 4 पिता एवं पुत्र हैं जो कि आबादी हेतु सैट अपार्ट की गई संपूर्ण भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करना चाहते है। ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड पंचों की उपस्थिति में भूमि का मौका देखा जाकर दिनांक 31.1.2004 को विधिवत रूप से पटटे जारी किये गये है। अधिवक्ता गैर निगरानीकारान ने दौराने बहस अवगत कराया कि ग्राम पंचायत खानवास द्वारा जारी प्रश्नगत पटटों को लगभग 16 वर्षो के अत्यधिक विलंब से चुनौती दी गई है। विलंब से पटटों को चुनौती दिये जाने का कोई कारण भी निगरानी में अंकित नहीं किया गया है। अतः निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 29.10.2003 को ग्राम जेलमपुरा ग्राम पंचायत खानवास स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 362 में से 0.25है0 भूमि आबादी हेतु सैट अपार्ट की गई थी। उक्त भूमि पर पटटे जारी करने हेतु ग्राम पंचायत खानवास द्वारा एक्शन प्लान बनाया जाकर भूमिहीनों को पटटे जारी किये गये है। उक्त एक्शन प्लान ने अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित भूमि में प्रत्येक भूखंड जिसकी माप 30 गुणा 45 फीट कुल 150 वर्गगज में निगरानीकारान के नाम भूखंड सं0 1 से 6 तथा भूखंड सं0 7 से 14 तक अप्रार्थीगण के नाम जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत खानवास द्वारा कोरम में विधिवत रूप से सर्वसम्मति से अप्रार्थीगण को 10/–रू0 प्रति वर्गगज की दर से पट्टे जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह कहीं पर भी परीलक्षित नहीं होता है कि उक्त [illegible] हेतु सैट अपार्ट की गई भूमि खसरा नंबर 362/1 पर संपूर्ण एक [illegible] को ही पटटे जारी किये जावेंगे। निगरानीकारान द्वारा समस्त भूमि 0.25 [illegible] कि जिला कलक्टर दौसा द्वारा चरागाह से खारिज कर आबादी में सैट अपार्ट की गई है, को हडपने की नीयत से यह निगरानियां पेश की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे नियमानुसार जारी किये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:21:19 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर.....7 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

ग्राम पंचायत खानवास द्वारा जारी प्रश्नगत पटटों के जारी किये जाने में कोई अनियमितता किया जाना जाहिर नहीं होता है। साथ ही ग्राम पंचायत के द्वारा प्रश्नगत पटटों को लगभग 16 वर्षों के बाद चुनौती दिये जाने का कोई भी कारण अंकित नहीं किया गया है। हम निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानियां खारिज किये जाने योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत खानवास द्वारा जारी प्रश्नगत पटटे यथावत रखे जाते है। ग्राम पंचायत खानवास का मूल अभिलेख निर्णय की छाया प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

मूल निर्णय निगरानी सं0 12/2020 में रखा जावे एवं शेष उपरोक्त निगरानी सं0 13/2020 से 19/2020 में इस निर्णय की प्रति रखी जावे।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 25 जनवरी, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:21:19 IST
Reason: SelfAttested